रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221416 CG-DL-E-28082020-221416

## असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2589] No. 2589] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

का.आ. 2920(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अगस्त, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 23 के खंड (ii) का उपबंध प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1/1/2018-सीएल-I] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

**S.O. 2920(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the 28<sup>th</sup> August, 2020 as the date on which the provision of clause (ii) of section 23 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2018-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.